(19

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1056
जिसका उत्तर 3 दिसम्बर, 2012 को दिया जाना है
भूमि अर्जन विधेयक में परिवर्तन

1056. **श्री प्रभात झाः**
श्रीमती कुसुम रायः
श्री अरविन्द कुमार सिंहः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रस्तावित भूमि अर्जन विधेयक में बदलावों के संबंध में 11 हजार ग्राम पंचायतों द्वारा पारित एक प्रस्ताव हाल ही में सरकार को प्रस्तुत किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया और उत्तर क्या हैं;
(घ) क्या सरकार प्रस्तावित विधेयक में किसानों की मांगों के अनुरूप बदलाव करेगी;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(च) क्या निजी परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन करते समय कम से कम 90 प्रतिशत किसानों की सहमति प्राप्त की जाएगी;
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री लाल चन्द कटारिया)

(क) से (ज): भारतीय किसान यूनियन (ए) ने उनके द्वारा तैयार किए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2012 की एक प्रति प्रस्तुत की है जो विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा पारित संकल्प पर आधारित है। इसके अलावा, इसने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 भूमि अर्जन अधिनियम की वर्ष 2000 से प्रयोज्यता को निरस्त करने तथा नए अधिनियम आदि का प्रवर्तन होने तक सभी अधिग्रहणों पर रोक लगाने की मांग भी है।

इस विभाग ने 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन (एलएआरआर) विधेयक, 2011' तैयार किया है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 को मंत्रिमंडल को 5 सितम्बर, 2011 को अनुमोदित कर दिया था। इसे 7 सितम्बर, 2011 को संसद में पुरःस्थापित किया गया था । माननीया अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा इस विधेयक को 13 सितम्बर, 2011 को ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने विस्तृत जांच-पड़ताल करने के बाद उपर्युक्त विधेयक पर अपनी 31वीं रिपोर्ट 17 मई, 2012 को लोक सभा को प्रस्तुत कर दी थी जिसे उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रख दिया गया था। 31वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों की विभाग में जांच की गई थी। सिफारिशों के आधार पर अथवा अन्यथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 हेतु शासकीय संशोधन के लिए मंत्रिमंडल हेतु एक टिप्पणी तैयार की गई थी और इसे मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया गया था। भूमि अर्जन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 में शासकीय संशोधनों हेतु मंत्रिमंडल की टिप्पणी पर मंत्रिमंडल द्वारा 28 अगस्त, 2012 को हुई इसकी बैठक में विचार किया गया था। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, इस मुद्दे पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा 27 सितम्बर, 2012 एवं 8 तथा 16 अक्तूबर, 2012 को जे.सी.बोस हॉल (कमरा नं. 142) कृषि भवन, नई दिल्ली में हुई इसकी तीन बैठकों में विचार किया गया था।

मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है तथा इस मुद्दे को मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस विभाग की मंशा भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 से संबंधित शासकीय संशोधनों को संसद के शीतकालीन सत्र में लोक सभा में रखे जाने की है।

****